

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 7-13/2004/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 12 मार्च, 2009
प्रति,

शासन के समरत विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समरत संभागीय आयुक्त,
समरत विभागाध्यक्ष,
समरत कलेक्टर
समरत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्य प्रदेश।

विषय :- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन।

संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 7-13/2004/आ.प्र./एक, दिनांक 11 जुलाई, 2005

भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक No.BC- 16014/1/82-SC & BCD-I दिनांक 6 अगस्त 1984 एवं समसंब्यक्त पत्र दिनांक 22 फरवरी, 1985 में प्रसारित निर्देशों का अनुसरण करते हुए प्रवृज्ञ संबंधी प्रकरणों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2005 की कंडिका - 3 में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना जारी होने के बाद अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश में आव्रजन करने वाले इन वर्गों के व्यक्तियों को पृथक प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था दी गई है।

2/ माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर द्वारा रिट याचिक क्रमांक 5664/05 (पीआईएल) में पारित आदेश दिनांक 7.10.2006 के पालन में निर्देश जारी किए जाते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 1950 को संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची जो मध्यप्रदेश राज्य पुर्नगाठन अधिनियम 2000 द्वारा संशोधित की गई है, में प्रविष्टि क्रमांक 20, 23, 33, 34, एवं 35 पर अंकित जनजातियों के ऐसे व्यक्ति/परिवार जो अविभाजित मध्यप्रदेश के अन्तर्गत मूलतः छत्तीसगढ़ क्षेत्र से संबंध रखते हैं, किन्तु मध्यप्रदेश राज्य पुर्नगाठन अधिनियम, 2000 के लागू होने के पूर्व से पुर्नगाठेत मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत स्थाई रूप से बस

गये हैं और वर्तमान में निरन्तर मध्यप्रदेश राज्य में निवासरत हैं, को जाति प्रमाण पत्र उसी प्रकार जारी किए जाएंगे, जिस प्रकार मूलतः मध्यप्रदेश के निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं।

3/ उक्त जातियों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय समर्त सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक आवेदक के स्थाई निवास के संबंध में गुणदोष के आधार पर परीक्षण करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अकीला हशमत)
उप सचिव


मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ० क्रमांक एफ 7-13/2004/आ०प्र०/एक भोपाल, दिनांक 12 मार्च, 2009
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. सचिव, मानो मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल।
5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा रचिदालय, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिभ जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग/ पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार, जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/ सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
11. सचिव, मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग, इन्दौर।

12. निदेशक, राष्ट्रीय अनु० जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं. 309 निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए अरेरा हिल्स, भोपाल.
13. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं. 103 तेजरखी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी पूंजा गुप्ता, हैदराबाद-500082.
14. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग, / अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल।
15. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.
16. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सा.प्र. विभाग.
17. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
18. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण/अभिलेख, / पुस्तकालय।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया इन निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी संबंधितों को अवगत कराएं।


(आर०के० गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग